

सं०-ए 19011/3(4)/2012/स्था०-एक/178-225

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
स्थापना-एक अनुभाग

क०सं० 305 (द०), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 12 मार्च, 2018

—: कार्यालय आदेश :-

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री रमेश कुमार, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, दिनांक: 31/03/2018 (अपरान्ह) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जायेंगे ।


(आर०के० शर्मा)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रधान निजी सचिव, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
- 2- प्रधान निजी सचिव/सदस्य (डीएण्डआर)/डब्ल्यूपीएण्डपी/आरएम, के०ज०आ०, नई दिल्ली ।
- 3- सभी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग ।
- 4- जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण (श्री नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव, स्था०-एक), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।
- 5- श्री रमेश कुमार, निदेशक (प्रशि०निदे०), के०ज०आ०, नई दिल्ली । उनसे अनुरोध है कि वे दिनांक: 31/03/2018 को कार्यभार सौंप दें ।
- 6- निदेशक-(प्रशासन/स्थापना)/प्रशिक्षण/तकनीकी प्रलेखन/तकनीकी समन्वय/ अभिकल्प एवं अनुसंधान/जल आयोजन एवं परियोजना/नदी प्रबंधन, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
- 7- सभी अवर सचिव/उपनिदेशक - (डब्ल्यू०पी०सी०)/उपनिदेशक (राजभाषा)/सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
- 8- अनुभाग अधिकारी - सीएमएण्डवी/ओएण्डएम/आरएण्डआई, के०ज०आ०, नई दिल्ली ।
- 9- लेखा-एक/तीन/स्था०-आठ/लाईब्रेरी-के०ज०आ०/केन्द्रीय सचिवालय-लाईब्रेरी/कोपारेटिव थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिटसोसायटीलि०/एस०एम०निदे०/डब्ल्यू०पी०सी०/पी०सी०पी०-आईडेंटिकार्ड/टेलीफोन/टेक०स्टोर/एस०डी०आ० (मु०) को के०ज०आ० के ओ०एम० नं० F.No. 12/94/2012-O&M/1574 dated 07.11.2016 के संदर्भ में । उनसे अनुरोध है कि वे के०ज०आ० की वेबसाईट पर उपलब्ध किये गये 'अनादायगी प्रमाण पत्र' पर संबंधित अधिकारी के पक्ष में भर कर स्थापना-एक अनुभाग, के०ज०आ० को 10 दिनों के अंदर भेज देने का कष्ट करें अन्यथा यह मान लिया जायगा कि संबंधित अधिकारी पर किसी प्रकार के कोई भी बकाया शेष नहीं है ।
- 10- सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि हेतु ।
- 11- स्था०-एक, के०ज०आ० की वेबसाईट पर अपलोडिंग हेतु ।
- 12- कार्यालय आदेश फोल्डर ।

(अग्रेजी रूपांतर पिछले पृष्ठ पर)

*मुखर्जी-

No. A19011/4 (23)/2016-Estt.I/178-225

Government of India
Central Water Commission

New Delhi, dated: the

March, 2018

OFFICE ORDER

On attaining the age of superannuation Shri Ramesh Kumar, Director, CWC, will retire from Government Service with effect from the afternoon of 31-03-2018.



(R.K.SHARMA)
SECTION OFFICER

Copy to :

1. PPS to Chairman, CWC.
2. PPS to Secretary/Member (D&R)/(WP&P)/(RM), CWC.
3. All Chief Engineers, CWC.
4. Ministry of Water Resources, RD&GR [Shri Narendra Singh, US (E-I)], Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
5. Shri Ramesh Kumar, Director(Trg. Dte), CWC, New Delhi. He is requested to submit charge relinquishment report on 31-03-2018.
6. Director (Admn. /Estt.)/Trg./TD/TC/D&R Coordn. /WP&P Coordn. /RM Coordn, CWC.
7. All Under Secretaries/DD (WPC)/OL & Security Officer, CWC, New Delhi.
8. S.O. CM&V/O&M/R&I, CWC, New Delhi.
9. **Accounts – I/ III/ Estt. VIII/ Library –CWC/ Central Secretariat Library/ Co-op. Thrift & Credit Society Ltd/ S.M. Dte/WPC/ PCP – Identity Card/Telephone /Tech. Store/SDO (HQ). With reference to CWC's O.M. No. F. No.12/94/2012-O&M/1574, dated, 7-11-2016, it is requested to send 'No Demand Certificate' to Establishment I Section, in the prescribed format as available in CWC Website, within 10 days failing which it would be presumed that nothing is pending.**
10. Copy for service book.
11. For uploading on CWC website.
12. Office Order folder.